समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2804, दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–(5)(क) में निहित निदेशानुसार दिनांक–30.06.2014 को संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु संपन्न बैठक में निम्नलिखित कर्मी का नियोजन करने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0 सं0	कर्मी का नाम/पदनाम /कार्यालय का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजित पद का नाम	पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिन्देश्वर पासवान, लिपिक, जिला आपूर्त्ति प्रशाखा, दरभंगा	30.06.2014	लिपिक	जिला आपूर्त्ति प्रशाखा, दरभंगा	
2	गगन देव साह, लिपिक, अंचल कार्यालय, सिंहवाड़ा	30.06.2014	लिपिक	अंचल कार्यालय, सिंहवाड़ा	

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2804, दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–(5)(क) के आलोक में निम्न शर्त्तों के साथ उपर्युक्त कर्मी को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक–01.07.2014 से उनके नाम के सामने अंकित पद एवं कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :–

1. यह चयन प्रथम दो वर्ष के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष, आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त की जा सकेगी।
2. नियोजित कर्मी का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम मूल वेतन से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही देय होगा।
3. नियोजित कर्मियों की कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें हटाया जा सकेगा।
4. कार्यालय प्रधान द्वारा आवंटित कार्यों के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का भी सम्पादन उन्हें करना होगा।
5. सरकार द्वारा उपर्युक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के साथ ही उपर्युक्त नियोजन स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

उपर्युक्त नियोजित कर्मी को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के पश्चात् दिनांक–01.07.2014 से अपना योगदान पदस्थापन स्थान पर देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और नियोजन स्वतः रद्द माने जायेंगे।

ह0/-
स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक–2–63/2011– 840 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 30वीं जून, 2014

प्रतिलिपि :– संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, दरभंगा/अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/14
स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

30/6/14